

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

“ए” ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर-302005

दूरभाष-0141-2740239, फैक्स-0141-2742309, ई मेल: jacct.dta@rajasthan.gov.in

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)पदस्थापन/एपीओ/अलेसे-गा/864

जयपुर दिनांक :- २९-०९-२०२३

आदेश संख्या: 59 / 2023-24

राजस्थान अधीनरथ लेखा सेवा के निम्नांकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-गा का पदस्थापन कॉलम संख्या 05 में अंकित कार्यालय में तुरन्त प्रभाव से किया जाता है एवं कॉलम संख्या 06 में अंकित आदेशों की प्रतीक्षा अवधि को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7 (8) (बी) (11) के अनुसरण में नियमित करते हुए उक्त अवधि के वेतन आहरण की कॉलम संख्या 07 में अंकित विभाग/कार्यालय से करने की एतद द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	लिंक नम्बर	नाम (सर्वश्री)	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय का नाम	नव पदस्थापन कार्यालय का नाम	आदेशों की प्रतीक्षा अवधि	प्रस्तावित कार्यालय/ विभाग जहां से वेतन आहरण करना है।
1	2	3	4	5	6	7
1	11083	सीमा कुमारी, स.ले.अ.ग्रेड-गा	आदेशों की प्रतीक्षा में	सीडीपीओ, समेकित बाल विकास सेवाये, नवलगढ़, जिला झुन्झुनू (कनिष्ठ लेखाकार के रिक्त पद के विरुद्ध)	27.09.2023 से आदेश जारी होने की दिनांक तक	सीडीपीओ, समेकित बाल विकास सेवाये, नवलगढ़, जिला झुन्झुनू

द्वितीयम्
(मूर्त्ति माथुर)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)पदस्थापन/एपीओ/अलेसे-गा/864

जयपुर दिनांक :- २९-०९-२०२३

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
2. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को प्रेषित कर लेख है कि कॉलम संख्या 06 में अंकित आदेशों की प्रतीक्षा अवधि का वेतन भुगतान कर संबंधित लेखाकर्मी की सेवापुरितिका में इन्द्राज आवश्यक रूप से किया जावें।
3. संबंधित कोषाधिकारी
4. सीमा कुमारी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-गा कार्यालय को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवपदस्थापन कार्यालय में आवश्यक रूप से कार्यग्रहण कर सूचना फैक्स अथवा विभागीय ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in पर इस विभाग को भिजवाये।
5. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
6. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)
7. उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट/पीआईएस (कॉर्ट्स) पर अपलोड करने हेतु।
8. संबंधित डीलिंग प्रभारी को पीआईएस (कॉर्ट्स) में रिकॉर्ड अपडेट करने हेतु।
9. रक्षित/निजी पत्रावली।


 (के.जी. गुप्ता)
 अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक)